राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
ई–मेल ssraj.sje@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 13 (1) ( ) सा0सु0/ब.घो–68/सान्याअवि/24–25/ 19729 जयपुर, दिनांकः 5/11/2024

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024–25 के क्रियान्विति हेतु प्रदेश के युवाओं में नशे की बढ़ती हुए प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, चूरू, जयपुर एवं अजमेर में 25–25 बेड क्षमता के नशामुक्ति केन्द्रों की स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से स्थापना की जानी है। नशामुक्ति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पंजीकृत स्वंय सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना के लिए उक्त जिलों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। स्वयं सेवी संस्थाएं अपना प्रस्ताव सम्बन्धित जिले के जिला कलक्टर को दिनांक 29 नवम्बर, 2024 तक प्रस्तुत करेगी।

विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट **www:http//sje.rajasthan.gov.in** पर विजिट अथवा जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सम्पर्क किया जा सकाता हैं।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
11047386

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.05 16:10:39 IST
Reason: Approved

क्रमांकः एफ 13 (1) ( ) सा0सु0 / ब.घो–68 / सान्याअवि / 24–25 / 19728-35 जयपुर, दिनांकः 05/11/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई–दिल्ली।
4. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, चूरू, जयपुर एवं अजमेर, राजस्थान।
5. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, चूरू, जयपुर एवं अजमेर, राजस्थान।
6. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यवास को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किया जाना सुनिश्चित करें।
7. सहायक निदेशक (प्रचार–प्रसार), मुख्यवास को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति राज्य स्तरीय 02 दैनिक समाचार संस्करणों (दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका) में प्रकाशित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
11047386

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.05 16:10:39 IST
Reason: Approved

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) की शर्तें निम्न होगीः-

1. राजस्थान निराव्यसन केन्द्र नियम 2020 के अन्तर्गत जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सक्षम/उपयुक्त स्वयंसेवी संस्था का चयन कर निदेशालय को भिजवाया जाऐगा।
2. जिला स्तरीय समिति द्वारा अन्तिम चयन कर प्रस्ताव राज्य सरकार की अनुमोदन पश्चात् स्वीकृत किये जाऐगें।
3. चयनित संस्था को नशामुक्ति केन्द्र संचालन की अनुमति प्रथमतः एक वर्ष के लिये होगी तथा निरीक्षण उपरान्त सन्तोषजनक व्यवस्था पाये जाने पर नशामुक्ति केन्द्रों संचालन राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त निरन्तर रखेजाऐगे।
4. चयनित ट्रस्ट/संस्था को राजस्थान निराव्यसन केन्द्र नियम 2020 एवं नशामुक्ति केन्द्र संचालन दिशा-निर्देश 2024-25की पालना करने का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. स्वयंसेवीसंस्थाको नशामुक्ति केन्द्र संचालनहेतु विभाग द्वारा समय-समय परजारीआदेशमेंउल्लेखितप्रावधानों के अनुसारअनुदान देय होगा।
6. नशामुक्ति केन्द्र संचालन दिशा-निर्देश 2024-25 के बिन्दु संख्या 4.0 में उल्लेखित दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
7. चयनित ट्रस्ट/संस्था के पास राजस्थान निराव्यसन केन्द्र नियम 2020 के तहत नशामुक्ति केंद्र संचालन हेतु अनुज्ञप्ति पत्र/लाईसेंस होना आवश्यक है। अगर जिला स्तरीय समिति द्वारा ऐसी ट्रस्ट/संस्था का चयन किया जाता है जिनके पास अनुज्ञप्ति पत्र नहीं है, तो उस संस्था को नशामुक्ति केंद्र स्वीकृत होने के एक माह के भीतर अनुज्ञप्ति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

नशामुक्ति केन्द्र संचालन हेतु आवेदन-पत्र

1.	संस्था का नाम व पता	
2.	नशामुक्ति केन्द्र का पता	
3.	संस्था का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	
4.	नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजियण क्रमांक एवं दिनांक	
5.	राजस्थान निराव्यसन केन्द्र नियम 2020 के तहत जारी अनुज्ञप्ति पत्र/लाईसेंस का क्रमांक एवं दिनांक	
6.	विधान नियमावली।	
7.	संस्था के प्रबंध कार्यकारणी की सूची	
8.	गत तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट	
9.	गत 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट	
10.	गत 3 वर्षों की लाभान्वितों की वर्षवार सूची	
11.	भवन का नक्शा एवं किरायानामा	
12.	संस्था को ब्लैक लिस्टेड न (केन्द्र/राज्य सरकार) किये जाने का शपथ पत्र	

संस्था प्रधान/सचिव के हस्ताक्षर

मों.न.